

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 138/2019

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि0 पूर्व में (मेन्टर इण्डिया लि0) प्रधान कार्यालय मेन्टर हाउस,  
गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर .....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर  
बनाम

- (1). श्री मोहन सिंह चौहान पुत्र श्री फतेह सिंह
- (2). श्रीमती प्रेमी देवी पत्नि श्री फतेह सिंह
- (3). श्री फतेह सिंह पुत्र श्री लाल सिंह  
निवासीगण:- प्लाट नम्बर 01, ग्राम सुरजपुरा, ग्राम पंचायत सरवीना, पंचायत समिति  
जवाजा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
- (4). श्री राजेन्द्र टांक पुत्र श्री रामचन्द्र  
निवासी:- प्लाट नम्बर 446, विजयनगर रोड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर  
.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सट्रक्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- सुरज शर्मा - अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 03 को दिनांक 05.07.2017 को रु. 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रुपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम सुरजपुरा, ग्राम पंचायत सरवीना, पंचायत समिति जवाजा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर स्थित पट्टा नम्बर 01 की सम्पत्ति, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गगज है, जो श्री फतेह सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 10.12.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 07.08.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 4,60,816/- (अक्षरे चार लाख साठ हजार आठ सौ सोलह रुपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण



*At Sharma*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम सुरजपुरा, ग्राम पंचायत सरवीना, पंचायत समिति जवाजा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर स्थित पट्टा नम्बर 01 की सम्पति, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गगज है, जो श्री फतेह सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया।



*M. Mohan Sharma*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर